

बिहार सरकार  
अनु०जा० एवं अन० जनजाति कल्याण विभाग  
अधिसूचना

संख्या-1जी०/ई० जि० क०-20-09/2012- 1230

दिनांक- 29/6/12

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नांकित नियमित/प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारियों को कार्यहित में अपने ही वेतनमान में स्थानान्तरित करने हुए अगले आदेश तक वॉलम-4 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापित का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला कल्याण पदाधिकारी	पटना	जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)	अभ्यावेदन के आधार पर।
2	श्री शशि भूषण सिंह, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी	वैशाली (हाजीपुर)	जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद	—
3	श्री शशि भूषण आर्य, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी	जिला कल्याण कार्यालय गया	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद	—

2 प्रस्ताव में विभागीय मंत्री/सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

3 सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानान्तरित स्थान पर अविलंब योगदान समर्पित करें अन्यथा दि०-5.07.12 से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। स्थानान्तरित सूची पदाधिकारियों को माह जुलाई का वेतन नए पदस्थापन स्थान से देय होगा।

4 अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5 पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०-1210 दि०-23.06.12 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/6/12  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1जी0/ई0 जि0 क0-20-09/2012- 1230 पटना, दिनांक- 29/6/12  
प्रतिलिपि- राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ  
प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव  
ज्ञापांक-1जी0/ई0 जि0 क0-20-09/2012- 1230 पटना, दिनांक- 29/6/12  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, वित्त  
(वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिले के कोषागार  
पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय  
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक कल्याण/प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी  
संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2 सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित  
पदाधिकारियों का माह जुलाई 2012 से वेतन भुगतान नव पदस्थापित स्थान एवं जिला से  
किया जायेगा।

सरकार के अवर सचिव